# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 01/2023
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय–बापू नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी किशन लाल मीणा

...प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

... (ऋणी)

1. श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी
2. श्रीमती इन्द्रा सैनी पत्नि श्री लेखराज सैनी

पताः–1041, सिकन्दरिया का बास, मार्फत सरस्वती विधा विहार स्कूल, ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित : श्री राजकुमार दीक्षित अधिकृत प्रतिनिधि।

**आदेश** दिनांकः 21.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी व सह ऋणी श्रीमती इन्द्रा सैनी पत्नि श्री लेखराज सैनी निवासी जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा को 53,00,000/–(रूपये तिरेपन लाख मात्र ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी व सहऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्रतिनिधि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर को सुना गया। हमने प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का

.....निरंतर 2 पर

जिला कलक्टर, दौसा

अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई आवासीय संपत्ति भूमि एवं भवन प्लॉट नं0 ए–45 एवं ए–46,(पूर्व में प्लॉट नं0 44 था) खसरा नंबर 983/984, आनंद विहार कॉलोनी, ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 200 गज एवं 200 गज अर्थात कुल 400 वर्ग गज है हजो कि श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी के नाम से स्थित है जिसकी चतुर्थ सीमाएं:– पूर्व–गिर्राज सैनी का मकान, पश्चिम– 25 फीट रोड, उत्तर– 15 फीट रोड, दक्षिण– प्लॉट नं0 ए–44 है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय दौसा

Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा